

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 199/16

संस्थापन दिनांक:-13/01/16

फाईलिंग नं. 233504000882016

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. कमलेश पिता तुम्बाजी प्रजापति, उम्र 28 वर्ष
2. संगीता पति कमलेशप्रजापति, उम्र 25 वर्ष  
दोनों निवासी ग्राम रमली,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 27.02.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.01.2016 को रात्रि करीब 08:30 बजे थाना आमला से 04 किमी. स्थित ग्राम रमली में फरियादी के घर के सामने लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी धर्मेन्द्र प्रजापति को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी धर्मेन्द्र प्रजापति को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को ईटा के ढेर पर धक्का देकर स्वेच्छया साधारण स्वरूप की उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2016 को रात्रि करीब 08:30 बजे फरियादी की बहन दुर्गा एवं संगीता का झगड़ा हो रहा था। जब वह उसे समझाने गया तो अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी मादरचोद, बहनचोद की गालियां दी। जब उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त कमलेश ने उसे ईटा के ढेर पर धक्का मार दिया। गिरने से उसे बांये हाथ के पास, बांये गाल पर एवं दाहिने हाथ की दूसरे नंबर की अंगुली में चोट लगी। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर मर्डर करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में

अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 14/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी को ईटा के ढेर पर धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण**

5 धर्मेन्द्र (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी

दुर्गाबाई (अ.सा.-2) एवं पिकी (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने गाली गलौच की थी।

6 साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दी जाना तथा साक्षीगण दुर्गा (अ.सा.-2) एवं पिकी (अ.सा.-3) ने घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच किये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण**

8 धर्मेन्द्र (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे धक्का दिया था जिससे उसे पत्थर लगा और सिर और नाक पर चोट आयी थी। दुर्गाबाई (अ.सा.-2) एवं पिकी (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे धक्का दिया जिससे उसे चोट आयी थी।

9 डॉ. मनीष जौंजारे (अ.सा.-6) ने दिनांक 09.01.2016 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत धर्मेन्द्र का परीक्षण किये जाने पर आहत के माथे पर बांयी और 2 गुणा 2 सेमी. आकार की रगड़, बांयी आंख के नीचे गाल के उपरी हिस्से पर 1 गुणा 1 सेमी. आकार की रगड़ एवं दांये हाथ की रिंग फिंगरपर दर्द और लालिमा पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें ठोस एवं बोथरी हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री-3 को प्रमाणित किया है।

10 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 09.01.2016 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक लेकर के पद पर पदस्थ

रहते हुए फरियादी द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 14/16 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।

11 प्रीतम सिंह (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 09.01.2016 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 14/16 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री-2 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

12 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। साक्षीगण ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं, जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में दुर्गाबाई (अ.सा.-2) एवं पंकी (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण उनके घर पर मारपीट करने के लिए आये थे। जब फरियादी धर्मेन्द्र ने बीच बचाव किया तब उसके साथ मारपीट की, धक्का दिया जिससे वह ईंट पर गिर गया और उसे चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी दुर्गाबाई (अ.सा.-2) ने बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी। घटना उसके सामने हुई थी। जब उसका भाई गिरा तो वह भाई को उठाने के लिए गयी थी। उस समय अभियुक्तगण भाग गये थे। उस समय उसकी अभियुक्तगण से कोई बातचीत नहीं हुई थी। अभियुक्तगण ने उसके समक्ष कोई मारपीट नहीं की थी। अभियुक्तगण के परिवार से उनका पुराना विवाद है। पंकी (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर खाना बना रही थी। घटना के समय वह मौके पर थी और भाई को बचा रही थी। बचाव अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसका विवाद पड़ोस में रहने वाली संगीता से चल रहा था और बीच बचाव के लिए फरियादी आया था। साक्षी को उसके पुलिस कथन (प्रदर्श डी-1) पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने कहा कि उसने पुलिस को ये बातें नहीं बतायी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि जब उसका और बहन-भाई का विवाद हो रहा था तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। स्वतः मैं कहा कि उसका विवाद उसकी भाभी संगीता के साथ नहीं हुआ था।

14 धर्मेन्द्र (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के

समय वह घर के सामने खड़ा था। तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया और गिरने से उसे सिर और नाक पर चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण से उसका पहले से ही विवाद चला आ रहा है। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हुई थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसने घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया था। स्वतः कहा कि पहले सरपंच को बताया था। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह अकेला था वहां आसपास कोई नहीं था।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना का प्रारंभ दुर्गा एवं अभियुक्त संगीता का झगड़ा होने पर फरियादी द्वारा बीच बचाव किये जाने पर होना प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से प्रकट हो रहा है एवं घटना दुर्गा एवं पिकी के द्वारा देखा जाना और बीच बचाव किया जाना प्रकट हो रहा है। जबकि प्रकरण में साक्षी दुर्गा एवं पिकी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण घर पर उनके साथ मारपीट करने के लिए आये थे। फरियादी धर्मेन्द्र बीच बचाव करने लगा तो उसके साथ मारपीट कर उसे धक्का दे दिया। जबकि फरियादी धर्मेन्द्र ने यह बताया है कि घटना के समय वह घर के सामने खड़ा था। अभियुक्त शराब पीकर आया और उसे धक्का दे दिया। प्रतिपरीक्षण में फरियादी ने बताया है कि घटना के समय वह अकेला था। घटना किसी ने नहीं देखी थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। साथ ही फरियादी धर्मेन्द्र ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में एक नयी कहानी प्रस्तुत की है एवं घटना घर के बाहर की होना बताया है। जबकि साक्षी पिकी एवं दुर्गा ने घटना घर के अंदर की होना और अभियुक्तगण का विवाद पहले उनसे होना बताया है। जबकि फरियादी ने मात्र अभियुक्त कमलेश के द्वारा उसे धक्का दिया जाना बताया है और घटना किसी के भी द्वारा न देखा जाना बताया है। आहत/फरियादी के चिकित्सकीय परीक्षण में उसे सिर, गाल और दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट पायी गयी है जबकि फरियादी ने सिर और नाक पर चोट आना बताया है।

16 प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। फरियादी ने एक नयी कहानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। फरियादी धर्मेन्द्र की साक्ष्य किसी साक्षी की साक्ष्य से समर्थित भी नहीं है और न ही चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। अभियुक्त संगीता के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

**17** उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी धर्मेन्द्र प्रजापति को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी धर्मेन्द्र प्रजापति को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को ईंटा के ढेर पर धक्का देकर स्वेच्छया साधारण स्वरूप की उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण कमलेश एवं संगीता को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**18** अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**19** अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)